



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112020-223230
CG-DL-E-21112020-223230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3647]
No. 3647]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/ कार्तिक 28, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4149(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2606 (अ) दिनांक - 04.08.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले में NH74 के कि.मी. 175.000 से कि.मी. 252.200 (रूम no. 44, कलेक्ट्रेट रुद्रपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19.08.2020" को "अमर उजाला" और "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के ऊधम सिंह नगर जिले में NH74 के कि.मी. 175.00 से कि.मी. 252.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तराखण्ड			जिले का नाम: ऊधम सिंह नगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बाजपुर				
	गांव का नाम: कनौरा				
1	123	निजी	कृषि	0.0652	जैगम खान पुत्र हस्मत यार खान ज़किया बेगम पत्नी आशिफ खान गुलाम मोहम्मद पुत्र मोहम्मद नवी (१२३)
	तालुक का नाम: किच्छा				
	गांव का नाम: बरी				
1	409	निजी	कृषि	0.55	नरेंद्र सिंह पुत्र जय सिंह मनदीप सिंह पुत्र सिकंदर सिंह अमर वीर सिंह पुत्र मलकीत सिंह सूरत सिंह मूरत सिंह पुत्रगण मेहर सिंह सतनाम सिंह मंजीत सिंह पुत्रगण जस्सा सिंह सुखचैन सिंह तेजपाल सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह बलवीर कौर पत्नी महेन्द्र सिंह आदि (०५५००)
	तालुक का नाम: सितारगंज				
	गांव का नाम: नकहा				
1	658	अन्य(निजी)	कृषि	0.5068	मोहम्मद आरिफ मोहम्मद ताहिर पुत्रगण

					मोहम्मद स्माईल (० ५ ६ ३ ०)
			कुल	1.122	

[फा. सं. NHAI/PIU-Rudrapur/Ram-Kath/3a/2012/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4149(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, SO 2606 (E) Dated-04.08.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH74 on the stretch of land from Km. 175.000 to Km. 252.200(Room no. 44, collectrate Rudrapur, U.S.Nagar) in the district of UDHAM SINGH NAGAR in the state of UTTARAKHAND

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “The Times of India” both dated 19.08.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH74 in the stretch of land from Km. 175.000 to Km. 252.200 of NH-74 in the district of UDHAM SINGH NAGAR in the State of UTTARAKHAND.

State: UTTARAKHAND			District: UDHAM SINGH NAGAR		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bajpur				
	Village: Kanaura				
1	123	Private	Agriculture	0.0652	Zegam Khan Putra Hasmat Yaar Khan, Zakiya Begam Patni Ashif Khan, Gulam Mohammad Putra Mohammad Navi 123

	Taluk: Kichha				
	Village: Bari				
1	409	Private	Agriculture	0.55	Naredra Singh Putra Jay Singh , Mandeep Singh Putra Shikandar Singh, Amar Veer Singh Putra Malkeet Singh, Surat Singh, Murat Singh Putragan Meher Singh, Satnam Singh, Manjeet Singh Putragan Jassa Singh, Sukhchain Singh, Tejpal Singh Putragan Pritam Singh, Balveer Kaur Patni Mahendra Singh Aadi. 0.5500
	Taluk: Sitarganj				
	Village: Nakha				
1	658	Common(Private)	Agriculture	0.5068	Mohmmad Aarif, Mohmmad Tahir Putragan Mohmmad Smayeel 0.5630
			TOTAL	1.122	

[F. No. NHAI/PIU-Rudrapur/Ram-Kath/3a/2012/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.